तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **पीराराम बनाम जयराम वगैरह, मुकदमा संख्या :– 10/2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
17.02.2025	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद वांके लियादरा के खेत खसरा नंबर 118 रकबा 51 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 117 रकबा 09 बिस्वा जुमले रकबा 51 बीघा नवीन खसरा संख्या 342 रकबा 3.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 355 रकबा 0.05 हेक्टैयर, खसरा नंबर 356 रकबा 4.82 हैक्टेयर जुमले रकबा 8.32 हेक्टेयर प्रार्थी व प्रार्थी के भाई स्व. मगा स्व. सुरजा, भोमा के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की स्थित है। जिस पर अपने स्थित एक चौथाई हिस्सा में प्रार्थी प्रथम भू–प्रबंध से पूर्व से लगाकर आज दिन तक निर्बाध रूप से बतौर संयुक्त खातेदार सहज व शांतिपूर्वक काबिज काश्त है तब से लगाकर आज दिन तक गिरदावरी उक्त वादग्रस्त आराजी की प्रार्थी के नाम इन्द्राज होती रही है तथा लगान भी सदैव प्रार्थी ने ही अपने हिस्सा का लगातार आज दिन तक अदा किया है व व्यक्ति या संस्था को विक्रय हम बैचान या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं किया है। उपरोक्त संपूर्ण आराजी को अप्रार्थीगण किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान करने पर आमदा है तथा मुझ प्रार्थी को मेरे हक हिस्से की भूमि पर काश्त करने से भी रोक रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा सामलाती भूमि को किसी अनजबी व्यक्ति को बैचान कर दिया तो प्रार्थी अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो जायेगें एवं प्रार्थी के विधिक अधिकारों को उल्लंघन होने के कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अगर विवादित भूमि को तीसरे पक्षकार को बैचान कर दिया तो सबसे ज्यादा असुविधा प्रार्थी को होगी तथा प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई रूपयों पैसों में किया जाना कतई संभव नहीं है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधरभूत स्तम्भ प्रार्थी के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत है तथा उक्त दावा माननीय अदाल में मजबूत आधारों पर पेश किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी को सफल होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है वांके ग्राम लियादरा पटवार हल्का बिजरोल के नवीन खसरा नंबर 342 रकबा 3.50 हैक्टेयर, खसरा संख्या 355 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 356 रकबा 4.82 हैक्टैयर जुमले रकबा 8.32 हैक्टेयर का मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक दिए जाने का आदेश फरमावें तथा उक्त आराजी को अप्रार्थीगण किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान, हस्तांतरण, रहन, वगेरह नहीं करे तथा न ही वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में दखलंदाजी व बेदखल अप्रार्थीगण स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य एजेन्ट, प्रतिनिधि, मजदूर वगैरह से करावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें । मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा लियादरा पटवार हल्का बिजरोल खेड़ा तहसील–सांचौर के खेत खसरा संख्या 342 रकबा 3.50 हेक्टैयर, खसरा नंबर 355 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 356 रकबा 4.82 हैक्टेयर भूमि की अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (प्रमोद कुमार, आर.ए.एस) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) सांचौर, जिला–सांचौर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) सांचौर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:04:27 IST
Reason: SelfAttested